

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 2-2/2022/नियम/चार भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2022  
प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
..... विभाग  
भोपाल।

विषय :- मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, भाग-1 एवं भाग-2 का पुनरीक्षण।

\*\*\*

1. वित्त विभाग द्वारा क्रमशः म0प्र0 बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, भाग-1 एवं 2 के माध्यम से राज्य शासन के विभागों एवं अधिकारियों को विभिन्न मदों में वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। भाग-1 वर्ष 2012 में पुनरीक्षित कर जारी किया गया है तथा भाग-2 वर्ष 1995 में जारी हुआ है। जारी होने के पश्चात विभागीय आवश्यकतानुसार समय-समय पर कतिपय संशोधन भी जारी हुये हे।
2. अनुभव किया गया है कि उपर्युक्त अनुसार किये गये वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन को विचार योग्य समय व्यतीत हो चुका है। इसके अतिरिक्त समय की आवश्यकता के अनुसार कई नवीन गतिविधियां समक्ष में आई हैं, जिनके लिये वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित नहीं हैं। इसी प्रकार प्रत्यायोजन की गई गतिविधियां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक हो गई हैं। अतः म0प्र0 बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, भाग-1 एवं 2 को अद्यतन कर संशोधित संस्करण जारी किया जाना है।
3. म0प्र0 बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, भाग-1, म0प्र0 बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, भाग-2, में किये गये वित्तीय प्रत्यायोजन को व्यवहारिक बनाने एवं व्यय की नवीन मदों में वित्तीय प्रत्यायोजन किये जाने की आवश्यकता है। अतः इस हेतु संलग्न प्रपत्रों में प्रस्ताव/सुझाव दिनांक 18 जुलाई 2022 तक कृपया उपलब्ध कराये।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(पी0 के0 श्रीवास्तव)

उप सचिव

म0प्र0शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, भाग-एक

प्रपत्र

..0..

स. क.	मौजूदा नियमों आदि का संदर्भ	विवरण	वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें	संशोधन का कारण
1	2	3	4	5	6	7

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, भाग-दो

प्रपत्र

..0..

स. क.	विवरण	वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें	संशोधन का कारण
1	2	3	4	5	6